राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6457/2007

1. अमर सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, मृतक **जरिये** उत्तराधिकारीगण

1/1. **श्रीमती** प्रेम कंवर धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अमर सिंह, आयु 55 वर्ष, निवासी **रीजनल** कॉलेज के सामने, पुष्कर रोड़, म. नं. 157/एच, कोटडा, अजमेर राजस्थान।

1/2. **योगेन्द्र** सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अमर सिंह, आयु 32 वर्ष, निवासी रीजनल कॉलेज के सामने, **पुष्कर** रोड़, म. नं. 157/एच, कोटडा, अजमेर राजस्थान।

....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. **राजस्थान** राज्य द्वारा सचिव गृह **विभाग**, राजस्थान सरकार, शासन **सचिवालय** जयपुर।
2. **महानिदेशक** पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. **महानिरीक्षक** पुलिस उदयपुर रेन्ज, उदयपुर, राजस्थान।
4. पुलिस अधीक्षक, चित्तौडगढ, जिला **चित्तौडगढ**, राजस्थान।
5. **महानिरीक्षक** पुलिस अजमेर रेन्ज, अजमेर, **राजस्थान**।
6. **महानिरीक्षक** पुलिस, आयोजना एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, **राजस्थान**।

....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	कोई **नहीं**
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री नोरतराम (कांस्टेबल) एससी/एसटी सेल, चित्तौड़गढ़

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>28/02/2023</u>

1. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **<u>पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2003 (2) एससीसी 45</u>** में प्रकाशित मामले में माना है कि न्यायालय उसके **समक्ष**

लाए गए मामलों को सुनने और निर्णय लेने के लिए बाध्य है और वह उस दायित्व से केवल इसलिए नहीं बच सकता क्योंकि न्यायिक कार्य से विरत रहें अधिवक्ताओं ने ऐसा करने का निर्णय लिया है।

2. न्याय प्रदान करना न्यायिक प्रणाली का मूल उद्देश्य है। न्याय वितरण प्रणाली में आम आदमी का विश्वास बनाए रखने के लिए समय पर न्याय प्रदान करना अपरिहार्य है। उचित दावा मिलने में देरी से व्यवस्था में नागरिकों का विश्वास धीरे-धीरे कम हो जाता है। आस्था और विश्वास ही व्यवस्था को जीवित रखता है। यह लगातार ऑक्सीजन प्रदान करता है। समय पर न्याय मिलने से विश्वास कायम रहता है और सतत स्थिरता स्थापित होती है। न्याय तक पहुंच को एक मानव अधिकार माना जाता है जो लोकतंत्र की मूलभूत अवधारणा में गहराई से निहित है और ऐसा अधिकार न केवल कानून का निर्माण है बल्कि एक प्राकृतिक अधिकार भी है और यह मामला इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां याचिकाकर्ता, जो एक सरकारी कर्मचारी है, ने अपनी जान बचाने के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में वर्ष 1999 में राज्य के बाहर एक मान्यता प्राप्त अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी का इलाज कराया, लेकिन उसे राशि प्राप्त करने से इनकार कर दिया गया। उनके इलाज में मेडिकल बिल खर्च हो गए और 24 साल की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह इन मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति पाने में विफल रहे हैं।

3. इस मामले में शामिल संक्षिप्त विवाद को देखते हुए, इस न्यायालय ने फ़ाइल का अवलोकन करना और मामले को गुणागुण के आधार पर तय करना उचित समझा।

4. मामले के संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता (जिसकी मृत्यु इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हो गई थी) पुलिस स्टेशन प्रतापगढ़ में पुलिस निरीक्षक के रूप में तैनात था और उसे 07.06.1999 को दिल का दौरा पड़ा, उसे एसएमएस अस्पताल, जयपुर ले जाया गया जहां उनकी हृदय गति "EF 20%" पाई गई। चूंकि, उनका इलाज तुरंत एसएमएस अस्पताल, जयपुर में संभव नहीं था, इसलिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया और याचिकाकर्ता की गंभीर स्थिति को देखते हुए, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी 19.08.1999 को एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली में की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने रुपये 2,72,965/- की राशि खर्च की। ठीक होने के बाद, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी अधिकारियों के समक्ष मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए

06.10.1999 को आवेदन किया। रुपये 2,72,965/- के बिल 14.03.2007 को इस दावे के साथ वापस कर दिए गए कि एसएमएस अस्पताल जयपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई किसी भी सिफारिश के बिना उपचार राज्य से बाहर जाकर किया गया था। उत्तर में उल्लिखित कथनों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने नियमों के अनुसार निर्धारित चिकित्सा उपचार नहीं लिया। राजस्थान मेडिकल अटेंडेंस नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य से बाहर इलाज के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केवल उसी स्थिति में की जाती है, जब रोगी को एसएमएस अस्पताल, जयपुर द्वारा रेफर किया जाता है और ऐसे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एक निश्चित राशि भी निर्धारित की जाती है। चूंकि, याचिकाकर्ता ने राज्य से बाहर इलाज कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और इसलिए रुपये 2,72,965/- की दी गई राशि चिकित्सा व्यय के रूप में प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुरजीत सिंह बनाम के मामले में पंजाब राज्य और अन्य** 1996 (2) एससीसी 336 में प्रकाशित मामले में माना गया है कि एक आपातकालीन स्थिति में कोई घर पर बैठकर किसी विशेष अस्पताल में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए शांत वातावरण में नहीं सोच सकता है या किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है या उसका इलाज राज्य से बाहर कराने के लिए अधिकृत अस्पताल का मेडिकल बोर्ड से संदर्भ नहीं ले सकता है।

6. यह सर्वविदित है कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। **सुरजीत सिंह (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "अन्यथा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी के जीवन का आत्म-संरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का आवश्यक सहवर्ती है, जो प्रकृति में मौलिक, पवित्र, अनमोल और अनुलंघनीय है। कर्तव्य और आत्म-संरक्षण के अधिकार का महत्व और वैधता आपराधिक कानून में आत्मरक्षा के अधिकार में एक प्रजाति है। सदियों पहले इस महान भूमि के विचारकों ने ऐसे अधिकार की कल्पना की और इसे मान्यता दी। गरुड़ पुराण के अध्याय 16 में श्लोक 17, 18, 20 और 22 की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है (दिव्य और गरुड़, पक्षी के बीच एक संवाद) दिव्य के शब्दों में:
>
> 17. *विना देहेन कश्यपि चपुरुषार्थो न विद्यते तस्माद्देहं धनं रक्षेत्पुण्यकर्माणि साधयेत।*

शरीर के बिना मनुष्य जीवन की वस्तुएं कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए धन रूपी शरीर की रक्षा करते हुए मनुष्य को पुण्य कर्म करना चाहिए।

--

18. *रक्षयेत्सर्वदात्मानात्मा सर्वस्य भजनं रक्षणे यत्नामतिष्ठेजे वनभद्राणि पश्यति*

व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए जो हर चीज के लिए जिम्मेदार है। जो सभी प्रयत्नों से अपनी रक्षा करता है, वह जीवन में अनेक शुभ अवसर देखेगा।

--

20. *शरीररक्षणोपायः क्रियन्ते सर्वदा बुधैः नेच्चन्ति च पुनस्त्यगमपि कुष्ठादिरोगिनः*

बुद्धिमान सदैव शरीर के लिए सुरक्षात्मक उपाय करते हैं। कुष्ठ तथा अन्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति भी शरीर से मुक्ति नहीं चाहते।

--

22. *आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत कोण्स्यो हितकरस्तस्मादात्मानं तारयिष्यति*

यदि कोई अपने लिए अप्रिय चीज़ को नहीं रोकता है, तो और कौन इसे रोकेगा? इसलिए व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसके लिए अच्छा हो।"

7. न केवल 'गरुड़ पुराण' में जीवन के अधिकार को 'यजुर्वेद' में भी मान्यता दी गई थी। यजुर्वेद का पहला 'मंत्र' इस प्रकार है:

"इशे त्वोअर्जे त्वा वायवस्था देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यद्वार्माघ्न्या इंद्राय भागम प्रजापतिरानमेव अयक्ष्मा मां वहस्तेन ईशत माघशांसो ध्रुवा अस्मिन गोपथौ स्याता बवीर्यजमानस्य पशु पाहि।"

मंत्र प्रारंभ में बताता है कि मनुष्य को दुनिया में खुशी लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने चाहिए। इसमें कहा गया है कि प्राणवायु, हवाएं, आकाशीय तत्व (वायवः) का उपयोग भोजन (इषे) के लिए किया जा सकता है, वह भोजन जो ऊर्जा और जीवन शक्ति (ऊर्जे) दे सकता है। अनमोल उपहारों के निर्माता और मनुष्यों और अन्य प्राणियों के महान प्रेरक, भगवान सविता, लोगों को सर्वोत्तम कार्यों (श्रेष्ठतमाय कर्मणा) में संलग्न होने में मदद करें। इंद्रियां और सभी जीवित प्राणी (अघ्न्याः) सुरक्षा और उचित रखरखाव के योग्य हैं, क्योंकि हमारी अपनी खुशी उन पर निर्भर करती है। हमें खुद को बर्बाद करने वाली बीमारी (अनामीवः) से

मुक्त रखना चाहिए, हमें खुद को चोरों (स्टेनः) अर्थात लुटेरों और धोखेबाजों से बचाना चाहिए, हमें खुद को उन (अघशंसः) लोगों से भी दूर रखना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सक्रिय या निष्क्रिय रूप से समर्थन करते हैं। बच्चों, नौकरों के साथ-साथ गृहस्वामी के अन्य आश्रितों को भी सभी प्रकार के खतरों से बचाया जाना चाहिए (यजमानस्य पशु पाहि)।

यह हमें यजुर्वेद की सामग्री के बारे में एक सामान्य विचार देता है। प्राणियों की सबसे पहली और प्रमुख चिंता भोजन है। जानवर अपने अस्तित्व के लिए भोजन खाते हैं। उन्हें दूसरों के अस्तित्व की चिंता नहीं है. लेकिन मनुष्य दूसरों के अस्तित्व की उपेक्षा नहीं कर सकता। उन्हें अपने पर्यावरण के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। उन्हें पारिस्थितिक संतुलन का भी ध्यान रखना होगा। ये उनके अपने अस्तित्व और खुशी के लिए आवश्यक हैं। पुरुषों को भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके भोजन का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी ख़ुशी इसी पर निर्भर करती है. पुरुषों को भी स्वयं को क्षय रोग से बचाना चाहिए वरना उनका जीवन कष्टमय हो सकता है।"

8. **पंजाब राज्य और अन्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला और अन्य,** (1997) 2 एससीसी 83 में प्रकाशित मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। यदि सरकारी कर्मचारी को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसके लिए किसी विशेष अनुमोदित अस्पताल में उपचार की आवश्यकता है और संदर्भ के अनुसार सरकारी कर्मचारी ने वहां ऐसा उपचार कराया है, तो यह राज्य का कर्तव्य है कि वह सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय को वहन करे।

9. इसी प्रकार **शिवाकांत झा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (यूआईओ),** एआईआर 2018 एससी 1975 (13.04.2018 को निर्णय) में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:-

"यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि सरकारी कर्मचारी अपने जीवन काल के दौरान या अपनी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं का लाभ पाने का हकदार है और उसके अधिकारों पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है। यह सामान्य ज्ञान के लिए स्वीकार्य है, वह अंतिम निर्णय है किसी मरीज का इलाज कैसे किया जाना चाहिए, इसका अधिकार केवल डॉक्टर को ही होता है, जो अकादमिक योग्यता और अनुभव दोनों में पारंगत और विशेषज्ञ होता है। मरीज या उसके रिश्तेदार के पास यह तय करने की बहुत कम गुंजाइश होती है कि बीमारी का इलाज किस तरीके से किया जाए। विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए विशेष अस्पताल स्थापित किए जाते हैं और उचित, आवश्यक और सुरक्षित उपचार

सुनिश्चित करने के लिए मरीजों द्वारा एक विषय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं का लाभ उठाया जाता है। क्या यह कहा जा सकता है कि विशेष अस्पताल में इलाज कराने से कोई व्यक्ति वंचित हो जाएगा? केवल इस आधार पर प्रतिपूर्ति का दावा करें कि उक्त अस्पताल सरकारी आदेश में शामिल नहीं है। चिकित्सा दावे के अधिकार को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अस्पताल का नाम सरकारी आदेश में शामिल नहीं है।"

10. यह तथ्य विवादित नहीं है कि एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली नियमों के अनुसार एक मान्यता प्राप्त अस्पताल है। अब इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराने से पहले मेडिकल बोर्ड से पूर्व अनुशंसा/संदर्भ आवश्यक है। वर्तमान मामले के तथ्यों में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता को आपातकालीन स्थिति में उपरोक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा, कानून के अनुसार ऐसी स्थिति में पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है जहां व्यक्ति का जीवित रहना सर्वोपरि है। याचिकाकर्ता को आपातकालीन परिस्थितियों में अस्पताल ले जाया गया था इसलिए पूर्व मंजूरी या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

11. **हरदेव राम कालेर (डॉ.) बनाम राजस्थान राज्य और अन्य** 2018 में प्रकाशित मामले में पहले ही कर दिया है। (2) पैरा संख्या 4 से 7 में आरएलडब्ल्यू जो इस प्रकार है:-

"4. इस प्रकार शर्त यह है कि प्रतिपूर्ति केवल उस राशि की सीमा तक होगी जो किसी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में देय है। माना जाता है कि अधिसूचना दिनांक 10.09.2010 के अनुसार शाल्बी अस्पताल, अहमदाबाद राजस्थान राज्य का एक अनुमोदित अस्पताल है। प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराने से पहले मेडिकल बोर्ड से पूर्व अनुशंसा/संदर्भ आवश्यक है।

5. इस न्यायालय के मद्देनजर पंजाब राज्य बनाम राम लुभाया बग्गा और अन्य (सुप्रा.) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हुए मेडिकल अटेंडेंस नियमों में ऐसी शर्त लगाई गई है जो बिल्कुल मनमाना और अनुचित है। उपचार के लिए ऐसी पूर्व शर्त किसी व्यक्ति से स्वतंत्र, स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करती है, जिसकी परिकल्पना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 के तहत की गई है।

6. एक नागरिक को उस अस्पताल में अपना इलाज कराने का पूर्ण

अधिकार है जहां वह महसूस करता है, संतुष्ट है कि उसे सबसे अच्छा इलाज दिया जाएगा और कोई भी आधिकारिक चेतावनी ऐसे अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है और यदि ऐसी कोई शर्त लगाई जाती है जो किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपना इलाज कराने का निर्देश देती है। यदि वह किसी विशेष अस्पताल से इलाज कराता है, तो यह उसके जीवन और स्वतंत्रता के अनमोल अधिकार को छीनने के समान होगा और वह अपने और अपने आश्रितों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने और अपने प्रियजनों की इच्छा के अनुसार सर्वोत्तम उपचार का चयन करेगा। इस न्यायालय ने पाया कि अन्यथा भी स्थिति उस उद्देश्य के करीब नहीं है जिसे हासिल किया जाना था। यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी स्थिति का उन परिस्थितियों में दुरुपयोग किया जा सकता है जहां एक विशेष जिसकी चिकित्सा विशेषज्ञ में विशेष उपचार करने में रुचि रखते हैं, वे किसी व्यक्ति को अन्य डॉक्टर से इलाज कराने के लिए संदर्भ देने से इनकार कर सकते हैं। इस प्रकार, इस न्यायालय की दृष्टि में ऐसी शर्त अवैध और अनुचित है और इसे ऐसे नागरिक द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता है जो सरकारी सेवक है या रहा है।

7. चिकित्सा परिचर्या नियमों का उद्देश्य मुख्यतः प्रतिपूर्ति के संबंध में है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार होगी। बेशक, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घुटने के प्रतिस्थापन के लिए शाल्बी अस्पताल को विधिवत मान्यता दी गई है और इसलिए केवल गैर-संदर्भ के कारण, राशि को रोका नहीं जा सकता है।"

12. जैसा कि ऊपर कहा गया है, कानून के मद्देनजर, इस याचिका का निपटारा प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में एस्कॉर्ट अस्पताल में अपने इलाज के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति अस्पतालों को नियंत्रित करने वाले नियमों/नीति के अनुसार अनुमोदित या मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज के लिए अनुमेय सीमा तक की जाए। प्रत्यर्थीगण को मृत याचिकाकर्ता के विधिक प्रतिनिधियों को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूरी की जाएगी। आगे आदेश दिया गया है कि यदि याचिकाकर्ता का दावा उपरोक्त अवधि के भीतर तय नहीं किया जाता है, तो उस पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा।

13. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

14. निर्णय देते समय, यह देखना दर्दनाक है कि राज्य के अधिकारी तकनीकी कारणों

से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के वैध दावे को अस्वीकार करने के लिए बहुत ही आकस्मिक और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हैं और सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनभोगी को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करते हैं। यह शायद ही कोई संतोषजनक स्थिति है। संबंधित अधिकारियों को अधिक उत्तरदायी होने की आवश्यकता है और वे यांत्रिक तरीके से किसी कर्मचारी (चाहे सेवा में हों या सेवानिवृत्त) को प्रतिपूर्ति के लिए उसके वैध दावे से वंचित नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा योजना प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि उन्हें सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा देखभाल के बिना न रहना पड़े।

15. इस न्यायालय में दिन-प्रतिदिन यह देखा गया है कि सरकारी विभाग के संबंधित अधिकारी आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों को अस्वीकार कर देते हैं और तकनीकी आपत्तियां लेकर कारणात्मक तरीके से अनुमति देने से इनकार कर देते हैं। इन विधेयकों को काफी लंबे वर्षों तक लंबित रखा जाता है और कुछ वर्षों के बाद खारिज कर दिया जाता है और ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया जाता है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिव कांत झा (सुप्रा.)** के मामले में ऐसी स्थिति का ध्यान रखा है और केंद्र सरकार के अधिकारियों को त्वरित निपटान के लिए संबंधित मंत्रालय में एक सचिव-स्तरीय-उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने का निर्देश दिया है। **शिव कांत झा (सुप्रा.)** के इस निर्णय के पैरा 20 में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:-

> "इसके अलावा, पेंशनभोगी लाभार्थियों के मामले में सीजीएचएस द्वारा एमआरसी के निपटान की धीमी और विलंबित गति और पेंशनभोगियों जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करने वाले अनावश्यक उत्पीड़न के संबंध में, हमारी राय है कि ऐसे सभी दावों पर संबंधित मंत्रालय में एक सचिव स्तर की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा जो ऐसे मामलों के त्वरित निपटान के लिए हर महीने बैठक करेगी। हम, इसके द्वारा, संबंधित मंत्रालय को सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश देते हैं जिसमें विशेष महानिदेशालय, महानिदेशालय, 2 (दो) अतिरिक्त निदेशक और 1 (एक) क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे जो 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर दावों का निपटान समय पर और परेशानी मुक्त सुनिश्चित करेंगे। हम संबंधित मंत्रालय को यथाशीघ्र

समिति बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा, यदि शुरुआती चरण में, अर्थात सीएमओ-आई/सी को संबंधित दावा पत्र जमा करने के बाद देरी हुई, तो उपरोक्त प्रक्रिया निरर्थक होगी, इसलिए, हमारी राय है कि अंतिम रूप देने और पेंशनभोगियों की दावा राशि का संवितरण के लिए एक समय सीमा होगी। इस दृष्टिकोण से, हमारी राय है कि पेंशनभोगी द्वारा दावे के लिए प्रासंगिक कागजात जमा करने के बाद, 1 (एक) महीने की अवधि के भीतर उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।"

17. **शिव कांत झा (सुप्रा.)** के उपरोक्त निर्णय के बाद यह न्यायालय राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के सभी विभागों में एक सचिव-स्तरीय-उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश देता है जो त्वरित निपटान के लिए हर महीने बैठक करेगी। यह न्यायालय, राजस्थान सरकार के सभी विभागों के सचिव को सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति बनाने का निर्देश देता है, जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हों जो समय पर और परेशानी मुक्त भुगतान सुनिश्चित करेंगे। ऐसे दावों का निपटारा दो महीने की अवधि के भीतर करें। यह न्यायालय राज्य के मुख्य सचिव और सभी विभागों के सचिव को यथाशीघ्र ऐसी समितियों के गठन के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है।

18. रजिस्ट्री को आवश्यक अनुपालन के लिए इस निर्णय की एक प्रति मुख्य सचिव और सचिव गृह विभाग, राजस्थान सरकार को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

19. इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों को देखने के लिए मामले को 04.07.2023 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करें।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

Ashu/25

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।